संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रथम तल, ब्लाक–दो, कक्ष क्रमांक– II/1/16

इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ, नया रायपुर

//विज्ञापन//

संचालनालय, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), छत्तीसगढ़ नया रायपुर में कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा नियुक्ति द्वारा किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मेरिट हेतु अंक का निर्धारण	
1	2	3	4	5	
1	**कार्यक्रम प्रबंधक** 01 पद (अजजा 01 पद)	60000/–	1. बी.टेक/बी.ई (IT)/बी.ई (C.S) Experience - in programming, system analysis, IT project management में शासकीय/अशासकीय संस्था में 05 वर्ष का कार्यानुभव 2. बी.टेक/बी.ई (IT)/ बी.ई (C.S) + MBA Experience - in programming, system analysis, IT project management में शासकीय/अशासकीय संस्था में 03 वर्ष का कार्यानुभव	बी.टेक/बी.ई (IT)/ बी.ई (C.S) में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	60%
				लिखित परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	40%

नियम एवं शर्तें :–

1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से **संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), छत्तीसगढ़ नया रायपुर** के नाम से दिनांक– 29.08.2017 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय 5:00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरुप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2017 के आधार पर की जावेगी।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं उसके संबंध मे शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
4. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
5. संविदा नियुक्ति अवधि अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। संविदा नियुक्ति आदेश एक वर्ष के लिए जारी किया जावेगा, आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

6. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.9–1/2012/1–3 दिनांक–31 दिसबंर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी।
7. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
9. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
11. कार्यालय में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूची बद्ध किया जायेगा और मेरिट के आधार पर उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगां । कौशल परीक्षा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पॉलीटेकनिक/चिप्स द्वारा लिया जावेगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
12. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेंगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
13. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।
15. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
16. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।
17. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।
18. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नही होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
19. नियुक्ति के संबंध में संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।
20. आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), इन्द्रावती भवन, नया रायपुर में कार्यालयीन समय एवं दिवस पर देखी जा सकती है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वेबसाइट **http://cgstate.gov.in/** से अवलोकन किया जा सकता है।

(शिव अनंत तायल)
संचालक
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम – कार्यक्रम प्रबंधक

प्रति,

संचालक,
प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण
कक्ष क्र. 33 (CVI), प्रथम तल, ब्लाक–दो
इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ़
नया रायपुर

अभ्यर्थी
स्व–प्रमाणित
फोटो चिपकाये

1. आवेदक का पूरा नाम (अ) हिन्दी में : .....
   (ब) अंग्रेजी में : .....
2. लिंग (महिला/पुरूष) : .....
3. जन्म तिथि (अ) अंको में : .....
   (ब) शब्दों में : .....
   (स) दिनांक 01.01.2017 को आयु वर्ष : ..... माह ..... दिन.....
4. वर्ग – अ.ज.जा .....
5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिंदी में) : .....
   : .....
   : .....
6. स्थायी पता (हिंदी में) : .....
   : .....
7. मोबाईल नंबर : .....
8. ई–मेल आई डी : .....
9. शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार :–

क्र	उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्राप्तांको का प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हायर सेकेन्ड्री,						
2	बी.टेक/बी.ई IT/बी.ई CS						
3	MBA						

10. अनुभव का विवरण :– .....

.....

11. वैवाहिक स्थिति :–

क. विवाहित/अविवाहित : .....

ख. विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरी जावें : .....

विवाह का दिनांक : .....

ग. परिवार के संतान का विवरण :–

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची।

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

<u>घोषणा पत्र</u>

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य है, तथा किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक : .....

स्थान : .....

.....

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर